/150029/2024

संख्या–130 /XII–3/2024/01(01)/2023(ई–पत्रावली 54454)

प्रेषक,

राधिका झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
(2) मुख्य अभियन्ता, स्तर–1,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

ग्रामीण निर्माण अनुभाग देहरादून दिनांक 13 फरवरी, 2024

विषयः– 'मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना' के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश (Guideline)।

महोदय,

राज्य में ग्रामीण अंचलों के उत्थान एवं समग्र विकास के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 28.12.2023 द्वारा 'मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना' प्रारम्भ की गयी है। उक्त जनोपयोगी योजना के सफल कियान्वयन हेतु संलग्न दिशा–निर्देशों (Guideline) की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया योजना में उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीया,
Signed by Radhika Jha
Date: 13-02-2024 15:01:22
(राधिका झा)
सचिव।

संख्या–130 (1)/XII–3/2024/01(01)/2023, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, समस्त मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड सरकार।
4. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त गढवाल मण्डल, पौड़ी/ कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
7. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. मुख्य अभियन्ता, स्तर–2, ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल, नैनीताल।
10. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
11. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तराखण्ड।
12. समस्त अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
13. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Mayawati Dhakriyal
Date: 13-02-2024 15:12:21

/190029/2024

(मायावती ढकरियाल)
अपर सचिव।

/190033/2024

शासनादेश संख्या-130/XII-3/2024/01(01)/2023(ई-पत्रावली 54454), दिनांक 13/02/24 का संलग्नक।

शासनादेश संख्या-757/XII-3/2023/01(01)/2023, दिनांक 28.12.2023 द्वारा प्रारम्भ 'मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना' के कियान्वयन हेतु (Guideline) दिशा-निर्देशः-

1- **प्रस्तावना**- राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 250 से अधिक जनसंख्या वाली ऐसी बसावटें जो मुख्य मोटर मार्ग से 1.5 कि0मी0 पैदल दूरी के अन्तर्गत होने के कारण पी0एम0जी0एस0वाई0 के प्रावधानों के अनुसार संयोजित है, तथा 250 एवं इससे कम आबादी वाले सभी असंयोजित बसावटों को चरणबद्व रूप से बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करना योजना का लक्ष्य है।

बसावटों को सम्पर्कता प्राप्त होने पर ग्रामीण जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विपणन, पर्यटन, आपदा, विधि व्यवस्था एवं अन्य आर्थिक और सामाजिक सेवाओं की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

2- **परिभाषा**-

(i) **बसावट**- एक जगह रहने वाली जनसंख्या के समूह, जो लम्बे समय तक स्थान नहीं बदलते है, को बसावट कहते है। बसावटों की जनसंख्या का आधार जनगणना वर्ष 2011 है।

(ii) **डाटाबेस**-राज्य में 250 एवं 250 से कम आबादी की बसावटों की संयोजकता की वर्तमान स्थिति की सूचनाओं का संकलन, जो कि वास्तविक सर्वेक्षण के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाता रहेगा।

(iii) **थ्रू रूटस्**- वैसी सड़कें जो कई सम्पर्क मोटर मार्ग को जोड़ती है एवं उच्च श्रेणी की सड़कों के माध्यम से विपणन केन्द्रों से जुडे होते है।

(iv) **लिंक रूटस्**- ऐसी सड़कें जो एक बसावट या बसावटों के एक समूह को थ्रू रूटस् से जोड़ती है। लिंक रूट सामान्यतः किसी बसावट की सीमा खत्म होने पर समाप्त हो जाते है।

(v) **सम्पर्क रूटस्**- डाटाबेस में प्रस्तावित मोटर मार्ग के लिए सम्पर्क शब्द का प्रयोग किया गया है। वास्तव में यह लिंक रूट ही है जो सामन्यतः किसी बसावट की अन्तिम सीमा तक जाती है।

(vi) **संयोजकता**- बसावट में अवस्थित किसी सामुदायिक उपयोग के भवन, स्थान अथवा बसावट के सबसे बड़े निवास समूह के 100 मीटर पैदल दूरी के दायरे में सड़क बनने से बसावट को संयोजित माना जाएगा।

(vii) **कोर नेटवर्क**- उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क अभिकरण द्वारा प्रख्यापित अद्यतन कोर नेटवर्क।

(viii) **निवास समूह**- न्यूनतम 5 आवासीय भवनों का ऐसा समूह जो 50 मीटर के दायरे में एक स्थान पर अवस्थित हो।

(ix) **बारहमासी सड़कें**- बारहमासी सड़क वह सड़क होती है जिस पर वर्ष के सभी मौसमों में यातायात का संचालन किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि सड़क की सतह को प्रभावी ढंग से सूखा रखा जाता है (पर्याप्त क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाओं जैसे कि पुलिया, छोटे

पुल और कॉजवे द्वारा) परन्तु यह जरूरी नहीं कि सड़क की सतह को पक्का किया जाना चाहिए या ब्लैक–टॉप किया जाना चाहिए।

3– मार्गदर्शी सिद्वांत–

(i) मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के चयन हेतु कार्यकारी प्रावधान निम्नवत् होंगे–

(क) डाटाबेस के अनुसार 250 एवं 250 से कम की आबादी वाले असंयोजित बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान की जाएगी।

(ख) विभागीय डाटाबेस के इतर कोर नेटवर्क की 250 से अधिक जनसंख्या वाली ऐसी बसावटें जो मुख्य मोटर मार्ग से 1.5 कि0मी0 पैदल दूरी के अन्तर्गत होने के कारण पी0एम0जी0एस0वाई0 के प्रावधानों के अनुसार संयाजित मानी गई है, उन्हें इस योजना में, ग्राम सभा के मांग प्रस्ताव पर जिला स्तरीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर सम्मिलित किया जा सकेगा।

(ग) ऐसे मार्ग जो पूर्व में निर्मित है तथा ग्राम सभा की सम्पत्ति है, परन्तु बारहमासी मार्गो की श्रेणी में नहीं आते है, उन मोटर मार्गो का उन्नयन, मार्ग के स्वामित्व को ग्रामीण निर्माण विभाग को हस्तगत करने के उपरान्त, इस योजना के तहत प्राथमिकता सूची के आधार पर किया जा सकेगा।

(ii) उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर सामान्यतः डाटाबेस में जनपदवार प्रस्तावित बसावटों की जनसंख्या का अवरोही क्रम, योजना के चयन का आधार होगा लेकिन ऐसे मार्ग जो कम आबादी के कारण नीचे के क्रम में आते हो परन्तु मुख्य बाजार, हाट, दर्शनीय/ऐतिहासिक महत्व के स्थलों, कृषि विपणन केन्द्रों, आपदा राहत आदि अथवा विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते है, के निर्माण को ध्यान में रखते हुए मा0 विधामंडल के सदस्यों/जिला पंचायत अध्यक्षों की अनुशंसा पर प्रस्तावित प्राथमिकता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु जिला स्तरीय समिति के समक्ष संस्तुति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(iii) प्रदेश के दुर्गम व पर्वतीय क्षेत्रों को वरीयता देते हुये, संयोजकता (मार्गो के उन्नयन सहित) के लक्ष्यों को यथासम्भव समान रूप से प्राप्त करने के निमित्त, योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा सकेंगी। जिला स्तरीय समिति से प्राप्त प्रस्तावों को मुख्यालय स्तर पर संकलित कर शासन के माध्यम से मा0 मंत्री, ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा बजट की उपलब्धता के अनुसार अनुमोदन प्राप्त कर स्वीकृत किया जायेगा।

4– धनराशि की उपलब्धता– योजना का कियान्वयन राज्य सरकार अपने बजट में प्रावधानित धनराशि से करेगी। परियोजनाओं के प्रथम चरण (सर्वेक्षण, डी0पी0आर0 गठन आदि) हेतु धनाबंटन राज्य सरकार द्वारा बजटीय आवंटन के माध्यम से प्रदान किया जाएगा एवं द्वितीय चरण में अधिक से अधिक कार्यो का वित्त पोषण नाबार्ड योजनान्तर्गत किया जायेगा। भविष्य में अन्य स्त्रोतों से वित्त पोषण का प्रयास किया जायेगा।

5– विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR)–

(i) डी0पी0आर0 का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा तथा आवश्यकता होने पर आउटसोंसिंग के आधार पर व्यावसायिक तकनीकी फर्मो की सेवा प्राप्त की जा सकेंगी।

(ii) चयनित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु योजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए निरूपण (Design)/संरेखण भारतीय रोड़ कॉग्रेस की समय–समय पर संशोधित ग्रामीण सड़क नियमावली (IRC SP 20–2002, SP 48 & Hill road Manual) Specification for Rural road 2004 तथा IRC 52–2019 में निर्धारित विशिष्टियों एवं Geometric Design के मानकों के अनुसार किया जायेगा। रोड की pavement का डिजाइन (IRC SP 72–2015) एवं Cross Drainage design IRC-SP 13 के आलोक में किया जाएगा। चूंकि मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित बसावटों की जनसंख्या 250 एवं इससे कम है। इन मार्गो में यातायात सामान्यतः कम ही रहने की सम्भावना है। ऐसी स्थिति में IRC SP 72–2015 के अनुसार भी मोटर मार्ग सामान्यतः T1-T3 की श्रेणी में ही रहेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि की CBR भी सामान्यतः अच्छी रहती है। उक्त के दृष्टिगत IRC SP 72–2015 के अनुसार डिजाइन करने पर भी ग्रेवल रोड की सतह का प्रावधान किया जाना होगा। इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एवं स्थापित नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(iii) स्थल निरीक्षण के आधार पर जहॉ कही भी पुल की आवश्यकता हो, का प्रावधान डी0पी0आर0 में किया जाएगा। मोटर मार्ग की डी0पी0आर0 में 15 मी0 स्पान तक के मोटर पुलों का प्रावधान IRS SP 20–2002 के अनुसार रखा जाय। 15 मी0 स्पान से अधिक के पुलों की डी0पी0आर0 पृथक से स्वीकृति हेतु प्रेषित की जायेगी। 15 मी0 स्पान से अधिक के पुलों की संख्या एवं स्पान को मोटर मार्ग की डी0पी0आर0/ड्राईग में अवश्व अंकित किया जाय।

(iv) पूर्ण संयोजकता सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा पूर्व निर्मित मोटर मार्ग में आवश्यकतानुसार छूटे हुए पुल का भी निर्माण किया जा सकेगा।

(v) समस्त दरें लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी दर अनुसूची SOR एवं MORD की अनुसूचित दरों पर निर्धारित की जाएगी।

6– **चेक लिस्ट (जॉच बिन्दु)–**

डी0पी0आर0 जॉच में निम्न बिन्दुओं के लिए भी जॉच की जाएगीः–

(क) प्रस्तावित मोटर मार्ग की डी0पी0आर0 असंयोजित बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु तैयार की गयी है, का अधिशासी अभियन्ता द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(ख) Transit Walk/संयुक्त निरीक्षण की प्रकिया अपनायी गयी है।

(ग) प्रस्तावित मोटर मार्ग किसी अन्य योजना के तहत स्वीकृत नहीं होने सम्बन्धी अधिशासी अभियन्ता द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(घ) पंचवर्षीय मार्ग अनुरक्षण का प्राक्कलन संलग्न किया गया है।

7– **निविदा प्रकिया–** परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के पश्चात ही यथा प्रकिया निविदा की कार्यवाही की जायेगी।

8– **कार्यान्वयन–**

(i) योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण निर्माण विभाग के सम्बन्धित प्रखण्डों के द्वारा कराया जायेगा।

(ii) निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिये अवधि सामान्यतः निम्नवत् होगीः—
(क) 1 से 3 कि0मी0 तक की लम्बाई वाले मोटर मार्ग के लिये समय—9 माह।
(ख) 3 से 5 कि0मी0 तक लम्बाई वाले मोटर मार्ग के लिये समय— 12 माह।
(ग) 5 से 10 कि0मी0 तक लम्बाई वाले मोटर मार्ग के लिए समय— 15 माह।
(घ) 10 कि0मी0 से अधिक लम्बाई वाले मोटर मार्ग के लिए समय— 18 माह।

(iii) योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुबन्ध की शर्ते मानक निविदा दस्तावेज के अनुसार रखी जायेगी।

(iv) योजना में सड़क निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार भूमि अधिग्रहण का भी प्रावधान किया जाएगा, किन्तु जिन मोटर मार्गो के लिए पूर्व से भूमि उपलब्ध होगी उन्हें निर्माण कार्य में प्राथमिकता दी जा सकेगी।

(v) मार्गो के निर्माण में नई तकनीक के उपयोग हेतु आवश्यक निर्माण सामग्री तथा उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया जा सकेगा।

(vi) नाबार्ड योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु शासनादेश दिनांक 19.07.2021 द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

9— अनुश्रवण—

(i) अधिशासी अभियन्ता प्रत्येक माह सहायक अभियन्ताओं, कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ताओं एवं ठेकेदारों के साथ बैठक कर योजनावार समीक्षा करेंगे, साथ ही गुणवत्ता के साथ ससमय कार्य को पूरा कराने की कार्यवाही करेंगे तथा बैठक की कार्यवाही मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

(ii) अधीक्षण अभियन्ता प्रत्येक माह अपने परिमण्डल के अन्तर्गत सभी अधिशासी अभियन्ताओं के साथ योजनावार समीक्षा करेंगे एवं कार्य योजना से पीछे चल रही योजनाओं से संबंधित ठेकेदारों की बैठक आहूत कर आवश्यक दिशा—निर्देश देंगे।

(iii) मुख्य अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) समय—समय पर, क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं, अधीक्षण अभियन्ताओं एवं सभी अधिशासी अभियन्ताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।

10— गुणवत्ता नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण—

(i) कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्राथमिक दायित्व प्रखण्डों का होगा। इसके लिये सभी कार्यो का प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण किया जाएगा एवं कराये गये कार्यो का भुगतान गुणवत्ता जॉच फल के गुण—दोष के आधार पर ही किया जाएगा।

(ii) मोटर मार्ग से लिए गए नमूनों की जॉच अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं विभाग के अनुमोदन से अन्य प्रतिष्ठित जॉच प्रयोगशालाओं में भी करायी जा सकेगी।

11— विविध—

(i) ग्रामीण निर्माण विभाग समय—समय पर ऐसे निर्देश जारी करेगा जो कार्यक्रम के निर्बाध कियान्वयन/गुणवत्ता नियन्त्रण के लिए आवश्यक हो।

(ii) आवश्यकता अनुसार शासन द्वारा समय—समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत किये जा सकेगे।

Signed by Radhika Jha
Date: 13-02-2024 15:02:25

(राधिका झा)
सचिव।